राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ०ए०एस०

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 52/2023

प्रार्थी–

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र देवीदान जाति चारण, निवासी सिणधरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत सिणधरी, पंचायत समिति सिणधरी, जिला बालोतरा
2. चोखाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट, निवासी निम्बली, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री देवीसिंह महेचा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री अचलाराम थोरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 05.06.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा जारी पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 के विरूद्ध दिनांक 06.05.2022 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम सिणधरी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2024 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1350 वर्गफीट दर्शाया गया है। जिनके नाप पड़ौस बदिशा उतर में बनीदान पुत्र आईदान व 45 फीट, दक्षिण में मैन रोड़ व 45 फीट, पूर्व में सरकारी हास्पीलाट व 30 फीट, पश्चिम में देवाराम पुत्र मूलाराम व 30 फीट अवस्थित है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने

जिला कलक्टर
बालोतरा

से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत सिणधरी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस एवं लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थी मौजा सिणधरी का मूल व स्थायी निवासी है तथा प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टा सुदा व कब्जासुदा भूखण्ड मौका सिणधरी की आबादी भूमि खसरा नंबर 57 गैर मुमकिन आबादी में बाड़मेर–बालोतरा मुख्य सड़क पर आया हुआ है, जिनका नाम व पड़ौस उतर व दक्षिण में 90 फीट एवं पूर्व व पश्चिम में 22 फीट है व पूर्व में राजकीय अस्पताल, पश्चिम में हरीदान पुत्र देवीदान, उतर में हरीदान पुत्र देवीदान, दक्षिण में मैन रोड़ आया हुआ है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का लगातार पैतृक व पुश्तैनी से कब्जा व स्वामित्व चला आ रहा है। जिस भूखण्ड पर पहले प्रार्थी के पिता का तथा प्रार्थी के पिता के फौत होने पर प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी पुराने स्वामित्व की पुष्टि पुश्तैनी दस्तावेज, ग्राम पंचायत द्वारा जारी एन ओ सी, लाईट के बिल एवं पुराना कब्जा से होती है। जिसे पुराने स्वामित्व के आधार पर ग्राम पंचायत ने प्रार्थी का पुराना कब्जा प्रमाणित मानते हुए पट्टा संख्या 56 दिनांक 28.02.2014 को जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से अप्रार्थी संख्या 1 से मिली भगत कर फर्जी पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 को पुराने गृहों का विनियमीतिकरण पचांयतीराज अधिनियम 1996 के नियमों अनुसार पट्टा जारी करवाया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा फर्जी ग्राम पंचायत की सीले तैयार कर आलोच्य पट्टा संख्या 251 व 249 जो पुराने गृहों का नियम 157 का तत्कालीन सरपंच ढेलीदेवी के हस्ताक्षकर ढेलोदवी फर्जी हस्ताक्षर कर तैयार एवं तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदैन सचिव एवं कार्यालय ग्राम पंचायत की फर्जी सिले तैयार कर आलोच्य पट्टा जारी किया गया। पड़ौस प्रार्थी के भूखण्ड के नहीं होकर फर्जी उतर में बनीदान पुत्र आईदान बताया गया है, लेकिन बनीदान के नाम का व्यक्ति सिणधरी चौसीरा, सिणधरी चारणान व सिणधरी में नहीं है। उक्त आलोच्य पट्टा का बैचान दुर्गाराम पुत्र ठाकराराम के पक्ष में दिनांक 27.04.2018 को किया गया है। इस हेतु प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी चौखाराम व खरीददार तथा अन्य के खिलाफ सी आर नंबर 147 दिनांक 10.09.2021 को धारा आई पी सी के तहत पुलिस थाना सिणधरी में दर्ज

जिला कलक्टर
बालोतरा

करवाई। उक्त धारा में अप्रार्थी व अन्य को दोषी मानते हुए फर्जी पट्टा बनाने एवं बैचाननामा दिनांक 27.04.2018 को अप्रार्थी दुर्गाराम के पक्ष में करने आरोप मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट सिणधरी में चालान पेश किया गया। आलोच्य पट्टा संख्या 251 को पूर्व में आलोच्य आवंटन पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 के सहयोगार्थ जारी किया गया। फर्जी पट्टा संख्या 251 जो एकमात्र चौखाराम के पक्ष में फर्जी तैयार कर खरीददार दुर्गाराम को बैचान किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आलोच्य पट्टा संख्या 251 पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 आड़ में प्राप्त किया गया है। उक्त आलोच्य पट्टा 251 पर फर्जी हस्ताक्षकर करने पर तत्कालिन सरपंच ढेलीदेवी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया कि उक्त आलोच्य पट्टे पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है और मेरे द्वारा नहीं किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने फर्जी, कुटरचित मूल्यवान प्रतिभूति तैयार कर उसका उपयोग में लिया गया। साथ ही कार्यालय ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के आदेश दिनांक 06.05.2024 के प्रमाण पत्र में सरपंच द्वारा पट्टा संख्या 249 दिनांक 15.04.2004 व 251 दिनांक 24.04.20204 से संबंधित रेकर्ड कार्यालय ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया गया। साथ ही आलोच्य पट्टा जारी करने में पंचायती राज नियमों की भारी अनदेखी की गई तथा न ही नियमानुसार सर्वेक्षण किया गया एवं न ही सार्वजनिक सूचना नोटिस बोर्ड चस्पा किया एवं न ही प्रार्थी के पट्टे एवं अप्रार्थी के पक्ष में आलोच्य पट्टे का नाप व पड़ौस मेल खा रहा है। जिससे आलोच्य पट्टा निरस्त योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 251 के धारक चौखाराम के पिता फर्जी आवंटन पट्टा संख्या 227 दिनांक 26.01.1975 द्वारा प्रार्थी के पैतृक भूखण्ड पर कभी भी कब्जा नहीं रहा एवं कब्जा का असफल प्रयास दिनांक 19.01.1990 को प्रार्थी के पिता की जमीन के अंदर अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के द्वारा किया गया। जिसमें मुलजिमान के खिलाफ धारा 144, 447/149 के तहत चालान पेश किया गया। जिसका फौजदारी मुकदमा संख्या 134/1990 में साक्ष्य के अभाव में मुलजिमान का कब्जा नहीं होने से व कब्जा नहीं मानते हुए संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया गया व उसी वक्त प्रार्थी ओम प्रकाश व प्रार्थी के भाई हरीदान के खिलाफ उसी रोज दिनांक 17.01.1990 को आलोच्य पट्टाधारक चेतन द्वारा फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके मुकदमा संख्या 135/1990, जिसमें प्रार्थी की पैतृक भूमि मानते हुए दोषमुक्त किया गया। जिससे स्पष्ट है कि आलोच्य आवंटी चेतन राम द्वारा 1990 तक आवंटित आलोच्य पटट्ा का कही भी कब्जा नहीं रहा। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा व उनके 100–200 सहयोगीयों से मिल दिनांक 22.01.2021 को प्रार्थी के भूखण्ड मय निर्मित दूकानों पर तोड़ फोड़ की गई। जिसका मूकदमा सी

जिला कलक्टर
बालोतरा

आर नंबर 19 दिनांक 23.01.2021 को पुलिस थाना सिणधरी में दर्ज कर अनुसंधान कर प्रार्थीगण व उनके सहयोगियों के खिलाफ अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालोतरा में चालान पेश किया गया, जो श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट सिणधरी में विचाराधीन है। अप्रार्थी द्वारा मुकदमा प्रार्थी के खिलाफ किया गया, जिसके सी आर नंबर 20 दिनांक 23.01.2021 में अप्रार्थी का वादग्रस्त भूखण्ड में किसी भी रूप में कब्जा नहीं माना गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी का आलोच्य भूखण्ड पर कब्जा नहीं रहा तथा जबरन अत्यधिक संख्याबल के आधार पर प्रार्थी के भूखण्ड मय दुकानों पर अवैधानिक रूप से कब्जा करने का असफल प्रयास किये गये साथ ही आलोच्य पट्टा में एवं प्रार्थी के पट्टे में अंकित नाप व पड़ौस में अंतर होने एवं अप्रार्थी का आलोच्य पट्टा कूटरचित होने से, हस्तगत प्रकरण में आलोच्य पट्टा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जिसे भी आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अप्रार्थीगण संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने दौराने बहस एवं लिखित बहस में प्रार्थी के द्वारा झूठे तथ्य आबादी गांव खसरा नंबर 67 में अपना भूखण्ड होने का कथन किया है। उक्त आलोच्य भूखण्ड का नाप व पड़ौस का विवरण गलत है एवं उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का पैतृक रूप से प्राप्त नहीं हुआ है और न ही प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी के पक्ष में पट्टा संख्या 66 दिनांक 28.02.2014 प्रभावी नहीं है, क्योंकि निगरानी संख्या 12/2021 बअनवान अर्जुन चौधरी बनाम ग्राम पंचायत सिणधरी में जिला कलक्टर के निर्णय पारित आदेश 18.04.2022 को आलोच्य पट्टा संख्या 66 निरस्त हो चुका है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा न तो कभी रहा है और न है। अप्रार्थी संख्या 2 के हकपूर्वाधिकारी पिता चैतनराम के हक में तत्समय में दिनांक 26.01.1976 को पट्टा जारी हो चुका था, किन्तु असल प्रलेख नहीं मिलने से पट्टा नवीनीकरण के तहत नया आलोच्य पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 को ग्राम पंचायत से जारी करवाया गया। जिसमें कोई विधिक त्रुटि या प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं गई। प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के आदेश को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका 7055/2022 दायर की जो रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 18.01.2023 को खारिज कर जिला कलक्टर बाड़मेर के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की। वर्तमान निगरानी मात्र अप्रार्थीगण को खर्चे से जेर बार करने एवं तंग परेशान करने की बदनियती पूर्वक पेश की है, क्योंकि पूर्व में प्रार्थी द्वारा अवैध व गलत तरीके से प्राप्त पट्टे को निगरानी में निरस्त किया जा चुका है। भौतिक रूप से मौके पर प्रश्नगत पट्टे से संबंधित सम्पति पर बतौर मालिक मौके पर कब्जा अप्रार्थीगण व उनके

जिला कलक्टर
बालोतरा

हकपूर्वाधिकारियों का निरंतर सतत् रूप से कायम रहा है। इस प्रकार प्रार्थीगण की निगरानी आधारहीन तथ्यों की होने से खारीज योग्य है।

7. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा मिसल संख्या 251 दिनांक 21.04.2004 पर पंचायत की बैठक में मिसल फैसल दिनांक 24.04.2004 में पारित संकल्प संख्या 11 के अनुसरण में आलोच्य पट्टा सं. 251 दिनांक 24.04.2004 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। जबकि ग्राम पंचायत सिणधरी से उक्त आलोच्य पट्टा से सम्बन्धित अभिलेख अवलोकनार्थ एवं परीक्षण हेतु तलब किये जाने पर ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के पत्रांक 2023/696 दिनांक 27.03.2024 के पत्र में अवगत कराया गया हैं कि उक्त आलोच्य पट्टा संबंधित पट्टा बुक व बैठक कार्यवाही रजिस्टर व अन्य रेकर्ड आग से जल कर नष्ट हो जाने के कारण ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, साथ ही वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी चौसीरा के प्रमाण पत्र में उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 251 से संबंधित रेकर्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना अवगत करवाया। पत्रावली में संलग्न आलोच्य पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 का अवलोकन करने पर पाया कि मिसल दायर दिनांक 21.04.2004 अंकित की गई है व पट्टा जारी करने की दिनांक 24.04.2004 अंकित की गई है। पंचायती राज नियम 148 के तहत प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर आक्षेप आमत्रित करनी होती है, जबकि उक्त आलोच्य पट्टा मात्र 4 दिन में जारी किया जाना आलोच्य पट्टा संदिग्ध होना जाहिर होता है। अलावा इसके तत्कालिन सरपंच ढेली देवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में आलोच्य पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर व सीले नहीं लगाई गई है एंव न ही मेरे हस्ताक्षर किये गये है और न ही तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर करवाकर आलोच्य पट्टा जारी किया गया है, इस प्रकार हस्ताक्षकर एंव सीले पूर्ण रूप से फर्जी होना अवगत करवाया। पत्रावली में आलोच्य पट्टा संख्या 249 एवं पट्टा संख्या 251 में ग्राम सचिव के हस्ताक्षर में अंतर पाया गया। साथ ही फर्जी सीले एवं हस्ताक्षर करके उक्त आलोच्य पट्टा जारी करने में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बालोतरा के प्रकरण संख्या 555/2023 के निर्णय दिनांक 13.10.2023 में अंकित (प्रार्थीगण अभियुक्तगण देवाराम व चौखाराम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रकिया संहिता को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।) जो इस पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 2 को दोषी मानते हुए आवेदन पत्र खारिज किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त आलोच्य पट्टा

जिला कलक्टर
बालोतरा

कुटरचित एवं बिना विधिसम्मत जारी किया गया है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत विधिसम्मत एवं स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। उक्त आलोच्य पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 इस प्रकार आलौच्य पट्टा जारी करने से सम्बन्धित आवेदन–पत्र, आपत्ति नोटिस, नियमानुसार शुल्क जमा करने की रसीद, मौका निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि पूरी प्रक्रिया अपनाये जाने का हस्तगत प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं होने से संदिग्ध होना जाहिर होता है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अभाव एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा आलौच्य पट्टा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 जारी किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी साक्ष्य एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है, जो काबिल खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 को जारी किया है, निरस्त अपास्त योग्य पाया जाता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकर कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत सिणधरी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 चौखाराम के नाम जारी पटटा संख्या 251 दिनांक 24.04.2004 को जारी किया गया, को राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेपित हो।

9. निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा